



संख्या: 650 / सं0प्र0 वृन्दावन/

दिनांक 14/2/2023

अनन्तिम-पत्र

सेवा में,

श्री कृष्ण पाल
पुत्र श्री ईश्वर सिंह
निवासी-म0न0-9बी/69, वृन्दावन योजना,
लखनऊ।

विषय: परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-11A/COM-104(Corner), आवंटन के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपको सूचित करते हुये मुझे हर्ष हो रहा है कि परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ के अन्तर्गत व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-11A/COM-104(Corner) की ई0नीलामी दिनांक 29-11-2022 में सम्मिलित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-11A/COM-104(Corner) हेतु आरक्षित दरे रू0 83776.00 प्र0व0मी0 के विरुद्ध प्राप्त उच्चतम बोली रू0 84076.00 प्रति वर्ग मीटर को उप आवास आयुक्त (लखनऊ जोन) द्वारा की गई संस्तुति के दृष्टिगत आवास आयुक्त (म0) के कार्यालय आदेश संख्या 131/सं0प्र0-3/ई-नीलामी/29.11.2022-भाग-2 दिनांक 25.01.2023 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-11A/COM-104(Corner) का प्रदेशन-पत्र आपके पक्ष में अद्योलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जाता है :-


- | | | |
|-----|---|------------------------|
| (1) | व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-11A/COM-104(Corner), का क्षेत्रफल | 1302.60 व0मी0 |
| (क) | स्वीकृत उच्चतम बिड | रू0 84076.00 प्र0व0मी0 |
| (ख) | भूखण्ड का कुल मूल्य (फ्री-होल्ड शुल्क सहित) | रू0 10,95,17,398.00 |
| (ग) | टोकन धनराशि के रूप में जमा धनराशि | रू0 1,09,12,662.00 |
| (घ) | प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर स्वीकृत मूल्य की 10% धनराशि जो दिनांक 30.04.2023 तक देय हैं। | रू0 1,09,61,510.00 |
| (ङ) | प्रदेशन पत्र की तिथि से छः माह के अन्दर देय 10% धनराशि जो दिनांक 31.07.2023 तक देय है। | रू0 1,09,61,510.00 |
| (च) | प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से 9 माह के अन्दर देय 10% धनराशि जो दिनांक 31.10.2023 तक देय है। | रू0 1,09,61,510.00 |
| (छ) | प्रदेशन पत्र निर्गत की तिथि से 12 माह के अन्दर देय 10% धनराशि जो दिनांक 31.01.2024 तक देय है। | रू0 1,09,61,510.00 |
| (ज) | स्वीकृत मूल्य की शेष 50% धनराशि की 11% ब्याज सहित 10 छमाही किश्तें दिनांक 01.10.2023 से देय होगी। | रू0 5,47,58,699.00 |
| (1) | प्रथम छमाही किश्त की धनराशि | रू0 72,64,837.00 |
| (2) | छमाही किश्तों की संख्या-10 | |
| (3) | अर्धवार्षिक किश्त प्रत्येक 06 माह के प्रथम दिनांक से देय होगी। | |
| (4) | जल/सीवर संयोजन तथा नियमित जल शुल्क के सम्बन्ध में जो धनराशि परिषद द्वारा निर्धारित की जायेगी उसका भी भुगतान करना होगा। | |
| (5) | विलेख/अनुबन्ध निष्पादन हेतु स्टैम्प शुल्क, नगर निगम/सरकार या अन्य किसी अधिकारी द्वारा लगाये गये समस्त करों का वहन प्रदेशन ग्रहीता को कराना होगा। | |
| (6) | प्रदेशन ग्रहीता को प्रदेशन पत्र में उल्लिखित धनराशि/औपचारिकताओं की पूर्ति निर्धारित अवधि तक पूर्ण करनी होगी। भूखण्ड को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अथवा अदेयता पर प्रदेशन निरस्त होता है तो प्रदेशन सम्पूर्ण टोकन धनराशि जब करते हुये नियमानुसार अन्य कटौतियों करते हुये निरस्त किया जायेगा। | |
| (7) | व्यवसायिक भूखण्डों उपयोग के सम्बन्ध में शासन/परिषद द्वारा समय-समय पर बनाये गये आदेश/नियम भी प्रदेशन ग्रहीता पर लागू होंगे। किसी सक्षम न्यायालय के स्थगन आदेश पर परिषद किसी हर्जे या ब्याज का देनदार नहीं होगा। | |
| (8) | प्रदेशन ग्रहीता द्वारा परिषद से मानचित्र स्वीकृत कराकर तदानुसार ही उक्त भूखण्ड पर निर्माण कराया जायेगा। | |
| (9) | आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 60 दिन के अन्दर भूखण्ड के सम्पूर्ण देय मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर भूखण्ड के विक्रय मूल्य रू0 10,95,17,398.00 का 5 प्रतिशत रू0 54,75,870.00 घटाकर एवं जमा पंजीकरण को समायोजित करते हुए रू0 9,31,28,867.00 जमा करना होगा। | |

कमशः 2 पर

नोट:-

- (1) आवंटी द्वारा स्वयं की दो प्रमाणित फोटो व हस्ताक्षर सहित जो किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित हो तथा प्रमाणित करता द्वारा प्रदेशन ग्रहीता का नाम पिता/पति का नाम व पता प्रमाणित कर्ता द्वारा स्वयं की हस्तलिपि में हो तथा चार फोटो ग्राफ पासपोर्ट साईज बिना प्रमाणित।
- (2) रू0 100/- का नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर।
- (3) अनुबन्ध/विलेख निष्पादन हेतु शासनादेशानुसार स्टाम्प पेपर जो शासन द्वारा समय-समय पर परिवर्तनीय है।
- (4) भूखण्ड का कब्जा भूखण्ड के कुल मूल्य का 50% जमा करने के पश्चात रजिस्टर्ड अनुबन्ध निष्पादन के पश्चात हस्तगत किया जा सकेगा।
- (5) अनुबन्ध/विक्रय विलेख हेतु रू0 300.00 रू0 50.00 फ्री-होल्ड पुस्तिका हेतु व रू0 100.00 साईट प्लान एवं विज्ञापन व्यय हेतु रू0 2,73,793.00 संलग्न ऑन लाईन विवरण के अनुसार तक जमा करने का कष्ट करें।
- (6) कब्जा हेतु दिनांक 30-04-2023 तक समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करने का कष्ट करें अन्यथा परिषद नियमानुसार दिनांक 01-11-2023 से रू0 100.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क भी देय होगा।
- (7) मासिक किरतो की धनराशि संलग्न ऑन लाईन विवरण के अनुसार जमा कर जमा की गयी धनराशि की अग्रिम प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
- (8) किसी भी देय धनराशि का विलम्ब से भुगतान करने की दशा में 13% की दर से अतिरिक्त ब्याज भी देय होगा। जो वास्तविक देय तिथि से देय होगा।
- (9) तीन नग साईट प्लान अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-05, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना लखनऊ से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- (10) टोकन धनराशि के रूप में जमा धनराशि का बैंक ड्रापट परिषद खातों में समाशोधित होने पर यह आवंटन विधिमान्य होगा।
- (11) आयकर अधिनियम-1961 की धारा-194-1ए के अनुसार प्रत्येक जमा की जाने वाली धनराशि पर 1 (एक) प्रतिशत आयकर के रूप में (फार्म नं0-26 क्यू0बी0 मे ऑनलाईन द्वारा) परिषद पैन नं0-AAAJU0103A पर संस्था को जमा करना होगा, जिसका समायोजन देय धनराशि से किया जायेगा। विलम्ब की दशा मे नियमानुसार ब्याज भी देय होगा, जिसकी जिम्मेदारी संस्था की होगी। (साधारण+ अतिरिक्त ब्यज) की देनदारी परिषद की नही होगी।

भवदीय,



सम्पत्ति प्रबन्धक
कृते आवास आयुक्त